JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

Ref :- RJIL/OFC/ROW/Kelwara-Karhal/EDS Date : 22.10.2020

To,

Deputy Conservator of Forest,

Forest Division, Baran.

Baran.

विषय: प्रोपोजल नंबर FP/RJ/Others/44278/2020.

सन्दर्भ: आपका पत्र एफ( ) एफ सी ए / उ व स/20-21/9480 दिनांक 16/10/2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में कृपया अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अनुसार आपने १५/१०/२०२० को विष्यांकित प्रोपोजल के RoW का दौरा किया। आपके पत्रानुसर "" प्रस्तावित वन भूमि में कुल पातन किए जाने वाले वृक्षों की गणना और वनस्पति के घनत्व की जानकारी नहीं हो पाई है"।

उपरोक्त observation के क्रम में निवेदन है कि हमारा प्रश्नगत प्रस्ताव रोड के ROW में भूमिगत OFC बिछाने का है जिसके लिए भारत सरकार ने अपने आदेश F.No.11 -9/98-FC दिनांक 16/10/2000 तथा समसंख्यक दिनांक 07/09/2015 द्वारा FCA,1980 की धारा २ के अन्तर्गत General Approval (GA)जारी कर रखा है। GA के क्रम में ROW में भूमिगत OFC बिछाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ जारी की जा ती है:

1. खाई का आकार १मीटर से चौड़ा एवम् २मीटर से गहरा नहीं होगा,
2. भूमिगत तार संरचना सड़क के RoW में सड़क के किनारे किनारे बिछाई जाएगी,
3. सड़क किसी भी NP or WLS के अंदर नहीं होगी, एवम्
4. वृक्षों की felling नहीं की जाएगी।

भूमिगत तार संरचना बिछाने का कार्य दो विभागों अर्थात PWD एवं Forest Department से जारी स्वीकृति के अनुसार किया जाता है क्योंकि वन भूमि से होकर गुजरने वाली सड़क के ROW का USER RIGHT तो PWD के अधीन होता है परन्तु भूमि की वैधानिक स्थिति वन भूमि होती है। स्वीकृति भी इस शर्त के अधीन दी जाती है कि वृक्षों की felling नहीं की जाएगी। अतः प्रश्नगत प्रस्ताव के क्रम में वृक्षों की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ो की गणना उन प्रस्तावों में तो आवश्यक है जिनमें FRESH FOREST AREA का डाइवर्जन मांगा गया हो।

अतः निवेदन है कि हमारे प्रस्ताव पर FC Rules, 2003 के अनुसार कार्यवाही करके उच्च कार्यालय को अग्रेषित करने का कष्ट करें।

आदर सहित

For Reliance Jio Infocomm Limited

Authorized Signatory